भाग I

हरियाणा सरकार

विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 जुलाई, 2008

संख्या लैज० 20/2008.— दि हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑव टे'क्-नि-कॅल ए'ड्यूकेशॅन ऐक्ट, 2008, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 18 जुलाई, 2008, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

2008 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19

हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2008

हरियाणा राज्य में पॉलिटेक्निक संस्थानों में तकनीकी शिक्षा के समन्वित विकास के लिए तथा उससे सम्बद्ध या उनसे आनुषंगिक मामलों के लिए हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना तथा गठन के लिए उपबंध करने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय I

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2008, कहा जा सकता है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में है।

(3) यह ऐसी तिथि को लागू होगा जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से अभिप्राय है, ऐसा दिन जिसको इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे ;

(ख) "बोर्ड" से अभिप्राय है, धारा 6 के अधीन स्थापित हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड ;

(ग) "उप-विधियों" से अभिप्राय है, धारा 41 के अधीन बोर्ड द्वारा बनाई गई उप-विधियां ;

(घ) "डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा" से अभिप्राय है, डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या उच्च डिप्लोमा स्तरीय प्राप्त करने के लिए ऐसी तकनीकी शिक्षा ;

(ङ) "सचिव" से अभिप्राय है, धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया बोर्ड का सचिव ;

(च) "परीक्षा" से अभिप्राय है, बोर्ड द्वारा संचालित एक या अधिक परीक्षाएं ;

(छ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ;

(ज) "शासकीय परिषद्" से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन स्थापित बोर्ड की शासकीय परिषद् ;

(झ) "संस्था का प्रधान" या "प्रधानाचार्य" से अभिप्राय है, बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त पॉलिटेक्निक या संस्था के अध्यापन कर्मचारिवृन्द का प्रधान, जिसे किसी भी नाम से पदाभिहित किया जाए ;

(ञ) "पॉलिटेक्निक या संस्था" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त या इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या प्रबन्धन शिक्षा या कम्प्यूटर अध्यवसाय या व्यावहारिक कला तथा कौशल या फार्मेसी या नगर योजना तथा वास्तुकला में डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या उच्च डिप्लोमा प्रदान करने वाली संस्था ;

(ट) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा विहित ;

(ठ) "विनियमों" से अभिप्राय है, धारा 40 के अधीन बोर्ड द्वारा बनागे गये विनियम ;

(ड) "अध्यापक" से अभिप्राय है, बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त प्रधानाचार्य या संस्थान के प्रधान से भिन्न अध्यापन कर्मचारिवृन्द का कोई सदस्य ।

अध्याय II

शासकीय परिषद् की स्थापना, गठन, शक्तियां तथा कर्तव्य

शासकीय परिषद् की स्थापना।

3. सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, शासकीय परिषद् स्थापित करेगी जो डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा से संबंधित मामलों को नियंत्रित तथा मॉनीटर करने के लिए अपैक्स निकाय होगी।

शासकीय परिषद् का गठन।

4 (1) शासकीय परिषद्, अध्यक्ष तथा निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

1.	वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग या सरकार का नामनिर्देशिती	: अध्यक्ष
2.	वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग	: पदेन सदस्य
3.	वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग	: पदेन सदस्य

4.	वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, उद्योग विभाग	: पदेन सदस्य
5.	वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	: पदेन सदस्य
6.	कुलपति, गुरु जम्भेश्वर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार	: पदेन सदस्य
7.	कुलपति, दीन बन्धु छोटू राम विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल	: पदेन सदस्य
8.	अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा या उसका नामनिर्देशिती	: पदेन सदस्य
9.	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें), हरियाणा	: पदेन सदस्य
10.	प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	: पदेन सदस्य
11.	उन्नत सामंजस्य तथा वाणिज्य तथा उद्योग विकास चैम्बर का नामनिर्देशिती (पी०एच०डी०सी०सी०आई०)	: सदस्य
12.	भारतीय उद्योग परिसंघ का नामनिर्देशिती (सी०आई०आई०)	: सदस्य
13.	भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग चैम्बर संघ का नामनिर्देशिती (एफ०आई०सी०सी०आई०)	: सदस्य
14.	राष्ट्रीय साफ्टवेयर तथा सेवा कम्पनी के संगम का नामनिर्देशिती (एन०ए०एस०एस०सी०ओ०एम०)	: सदस्य
15.	सचिव	: पदेन सदस्य
16.	निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा	: सदस्य-सचिव

(2) उप-धारा (1) के अधीन सदस्यों के अतिरिक्त दो सदस्य सामाजिक क्रियाकलापों, शिक्षाविदों तथा उद्योगपतियों में से अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे।

(3) पदेन सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों के नाम जो समय-समय पर शासकीय परिषद् के सदस्यों के रूप में नामनिर्देशित किये गये हैं, सरकार द्वारा, राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

(4) जब तक सरकार द्वारा उनकी सेवाएं पूर्वतर समाप्त नहीं कर दी जाएं शासकीय परिषद् के नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी।

(5) शासकीय परिषद् प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार बैठक करेगी, तथा लगातार दो बैठकों के बीच का अन्तर 12 मास से अधिक की अवधि का नहीं होगा।

(6) नामनिर्देशित सदस्य बैठकों में उपस्थिति के लिए व्यक्तिगत खर्च को पूरा करने के लिए या सदस्य के रूप में किन्हीं अन्य कृत्यों के अनुपालन करने में सरकार द्वारा यथा अवधारित ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे।

शासकीय परिषद् की शक्तियां तथा कर्तव्य।

5. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, शासकीय परिषद् की शक्तियां तथा कर्तव्य निम्नलिखित रूप में होंगे, अर्थात् :—

(क) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मामलों पर कार्य करना तथा कार्यान्वयन के लिए बोर्ड के विनियमों, सिफारिशों तथा निर्णयों का अनुमोदन करना ;

(ख) उद्योग के परामर्श से परिदृश्य विकास योजना तैयार करना ;

(ग) बोर्ड के ग्रुप क तथा ख के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रियाओं तथा विनियमों, उनकी अर्हताएं, निबंधन तथा सेवा शर्तों सहित सचिव के सिवाय आचरण, अनुशासन तथा कर्तव्यों, भर्ती का ढंग, वेतनमानों का अनुमोदन करना ;

(घ) धारा 26 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार बोर्ड के ग्रुप क तथा ख के अधिकारियों की नियुक्ति करना ;

(ङ) नियमित रूप से या ऐसे अंतरालों पर जैसा शासकीय परिषद् उचित समझे बोर्ड के लेखों की लेखा-परीक्षा के परीक्षण को कार्यान्वित करने के लिए सरकार को सिफारिश करना ;

(च) पॉलिटेक्निक या संस्था के प्रत्यायन तथा वर्गीकरण पालिसी का विनिश्चय करना ;

(छ) बोर्ड द्वारा सिफारिश किये गये बजट का अनुमोदन करना ;

(ज) सरकार द्वारा समय-समय पर लिए गये विभिन्न पालिसी निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में बोर्ड को निर्देश देना ;

(झ) बोर्ड के अधीन संस्था के उचित संचालन, कार्यप्रणाली तथा वित्त संबंधी किसी मामले के संबंध में किसी जांच के संचालन की सरकार को सिफारिश करना।

अध्याय III

बोर्ड की स्थापना, गठन, शक्तियां तथा कर्त्तव्य

6. सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बोर्ड स्थापित करेगी। बोर्ड की स्थापना।

7. धारा 6 के अधीन स्थापित बोर्ड एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी, तथा चल तथा अचल दोनों सम्पत्ति की संविदा, अर्जन, धारण तथा निपटान करने की शक्ति होगी, तथा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक कार्य करेगा तथा उसके निगमित नाम से वाद ला सकेगा तथा वाद लाया जा सकेगा। बोर्ड का निगमीकरण।

8. (1) बोर्ड में अध्यक्ष तथा निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात् :— बोर्ड का गठन।

1. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग : अध्यक्ष
2. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा : पदेन सदस्य
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा : पदेन सदस्य
4. निदेशक, ओद्यौगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा : पदेन सदस्य
5. निदेशक, यंग मैन क्रिश्चयनज एसोसियेशन (वाइ०एम०सी०ए०) कालेज आफ इंजीनियरिंग : पदेन सदस्य
6. भारतीय ओद्यौगिक परिसंघ का नामनिर्देशित (सी०आई०आई०) : सदस्य
7. उननत सामजंस्य तथा वाणिज्य तथा उद्योग विकास चैम्बर का नामनिर्देशिती (पी०एच०डी०सी०आई०आई०) : सदस्य
8. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए०आई०सी०टी०ई०) : पदेन सदस्य
9. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा नाम-निर्देशित राजकीय पॉलिटेक्निक का एक वरिष्ठतम प्रधानाचार्य : सदस्य
10. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा नामनिर्देशित महिला पॉलिटेक्निक का एक प्रधानाचार्य : सदस्य
11. तीन शिखर प्रदर्शन करने वाले असहायतार्थ पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्यों में से निदेशक, : सदस्य

तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा नाम-निर्देशित असहायताप्राप्त पॉलिटेक्निक का एक प्रधानाचार्य

12. श्रेष्ठ अध्यापक पुरस्कारों में से निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा नाम-निर्देशित पॉलिटेक्निक का एक अध्यापक : सदस्य

13. सचिव : सदस्य-सचिव

(2) व्यक्तियों के नाम (पदेन सदस्य न होते हुए भी) जो बोर्ड के सदस्यों के रूप में समय-समय पर मनोनीत किए गए हैं, बोर्ड द्वारा राजपत्र में प्रकाशित करवाए जाएंगे।

सचिव की नियुक्ति तथा पदावधि।

9. (1) बोर्ड का सचिव होगा जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) सचिव, राजपत्र में उसके नाम के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(3) उप-धारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, लोक सेवा की आवश्यकताओं में, ऐसी अवधि के दौरान सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर सचिव को स्थानान्तरण करने की सरकार की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी; तथा यदि सचिव सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त है, तो वह सचिव के रूप में नहीं रहेगा, जब तक कि सरकारी सेवाओं में उसकी सेवाएं नहीं बढ़ाई जाती हैं या उसे पुनः नियोजित नहीं किया जाता है या उसे किसी अन्य पद पर स्थानान्तरित नहीं कर दिया जाता है।

(4) सरकार, समय-समय पर, सचिव की पदावधि बढ़ा सकती है, तथापि, पद की कुल अवधि छः वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(5) सचिव सरकार का कर्मचारी होगा। सेवा शर्तें सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएंगी।

(6) जहां सचिव की अस्थाई रिक्ति छुट्टी, बीमारी के कारण या अन्य कारण से होती है, तो वहां सरकार अन्य व्यक्ति को सचिव के रूप में नियुक्त कर सकती है।

(7) सचिव, अध्यक्ष के नियन्त्रणाधीन, बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा तथा बोर्ड के अधीन तत्समय कार्य कर रहे सभी अन्य अधिकारी तथा सेवक उसके अधीनस्थ होंगे।

(8) सचिव, बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने के लिए हकदार होगा।

(9) सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा बनाए जाएं।

बोर्ड के सदस्यों की पदावधि तथा भत्ते।

10. (1) पदेन सदस्य से अन्यथा, बोर्ड के सदस्य, तिथि जिसको उनके नाम राजपत्र में प्रकाशित किये जाते हैं, से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(2) पदावरोही सदस्य की पदावधि तिथि जिसको उसके उत्तराधिकारी का नाम राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती दिन तक बढ़ाई जाएगी, तथा से समाप्त हो जाएगी।

(3) सदस्य ऐसे प्रतिपूर्ति भत्तों के हकदार होंगे जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं।

बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की निरर्हताएं।

11. कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन स्थापित बोर्ड या किसी समिति का अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने या नाम-निर्देशित किए जाने के लिए या के रूप में बने रहने के लिए निरर्हित हो जाएगा,—

(क) यदि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोर्ड के आदेश द्वारा किए गए किसी कार्य में या की ओर से की गई किसी संविदा में कोई हिस्सा या हित रखता है;

(ख) यदि वह ऐसा व्यक्ति है जिसके विरुद्ध धारा 14 के अधीन पद से हटाये जाने का कोई आदेश किया गया है :

परन्तु कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश किया गया है, इस खंड के अधीन उसको पद से हटाये जाने की तिथि से , यदि पांच वर्ष, या ऐसी कम अवधि जो सरकार विनिर्दिष्ट करे, व्यतीत हो गई है, निरर्हित किया गया नहीं समझा जाएगा।

आकस्मिक रिक्तियां।

12. शासकीय परिषद् या बोर्ड या बोर्ड द्वारा गठित किसी समिति के सदस्यों की सभी आकस्मिक रिक्तियां यथाशीघ्र नामनिर्देशन या नियुक्ति, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा भरी जाएंगी; तथा आकस्मिक रिक्ति में नाम-निर्देशित या नियुक्त व्यक्ति केवल तब तक पद धारण करेगा जब तक सदस्य जिसके स्थान पर वह नाम-निर्देशित या नियुक्त किया गया है, उसे धारण किए हुए होता, यदि रिक्ति नहीं हुई थी।

सदस्यों का त्याग-पत्र।

13. पदेन सदस्य के सिवाय, बोर्ड या शासकीय परिषद् का कोई सदस्य, बोर्ड के अध्यक्ष या शासकीय परिषद् के अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, को लिखित में अपना त्याग-पत्र देते हुए किसी भी समय अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है तथा ऐसा सदस्य जिसका अध्यक्ष यथाशीघ्र त्याग-पत्र स्वीकार करता है, तो उसका पद रिक्त हुआ समझा जाएगा।

सदस्य को हटाया जाना ।

14. (1) सरकार, बोर्ड की सिफारिश पर तथा ऐसी और जांच करने के उपरांत, जैसा वह ठीक समझे, आदेश द्वारा, बोर्ड या शासकीय परिषद् या उसकी किसी समिति के किसी सदस्य को हटा सकती है, यदि ऐसा सदस्य,—

(क) नैतिक अधमता वाले किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है; या

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(ग) ऐसे चिकित्सा प्राधिकरण जो सरकार विनिर्दिष्ट करे, द्वारा शारीरिक रूप से निर्योग्य घोषित किया गया है; या

(घ) विकृतचित्त है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है; या

(ङ) बोर्ड के लक्ष्यों तथा उद्‌देश्यों के अहितकर के रूप में कार्य कर रहा है:

परन्तु ऐसी सिफारिश बोर्ड द्वारा नहीं की जाएगी, या खंड (ङ) के अधीन तब तक कोई आदेश नहीं किया जाएगा जब तक उसे कारण बताते हुए कि क्यों न ऐसी सिफारिश या आदेश किया जाना चाहिए, का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया है।

(2) सरकार स्वप्रेरणा से बोर्ड या शासकीय परिषद् या किसी समिति के नामनिर्दिष्ट या नियुक्त किए गए किसी सदस्य को आदेश द्वारा हटा सकती है, जिसके क्रियाकलाप, सरकार की राय में, बोर्ड या शासकीय परिषद् या उसकी किसी समिति के उचित कृत्यों को करने में अहितकर या बाध्य हों :

परन्तु कोई भी सदस्य तब तक पद से नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे कारण बताते कि उसके विरुद्ध क्यों न ऐसे आदेश कर दिए जाएं, का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया है।

(3) उप-धारा (1) तथा (2) में विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड का नामनिर्देशित सदस्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा तथा सरकार द्वारा किसी भी समय हटा दिया जाएगा, यदि वह ठीक समझे।

बोर्ड की बैठक।

15. (1) बोर्ड प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगा तथा दो अनुक्रमिक बैठकों के बीच का अन्तर छः मास की अवधि से अधिक नहीं होगा।

(2) बोर्ड का अध्यक्ष किसी भी समय, यदि अत्यावश्यकता ऐसी मांग पर तथा बोर्ड के कुल सदस्यों, जो एक तिहाई से कम न हो, द्वारा लिखित अनुरोध पर, अध्यक्ष द्वारा ऐसे अनुरोध की प्राप्ति के बाद इक्कीस दिन से अपश्चात् किसी भी दिन, बोर्ड की विशेष बैठक बुलाएगा।

निरर्हता के कारण अध्यक्ष या सदस्य की रिक्ति।

16. यदि धारा 11 के अधीन बोर्ड या शासकीय परिषद् या किसी समिति का अध्यक्ष या सदस्य निरर्हित कर दिया जाता है, तो उसका पद सरकार द्वारा तदुपरि रिक्त घोषित किया जाएगा।

अनुज्ञा के बिना अनुपस्थित होने के कारण सदस्य की रिक्ति।

17. यदि बोर्ड या शासकीय परिषद् में नामनिर्देशित या नियुक्त किया गया कोई सदस्य बोर्ड या शासकीय परिषद् की अनुज्ञा के बिना उसकी क्रमवर्ती तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो उसका पद तदुपरि रिक्त हो जाएगा तथा बोर्ड या शासकीय परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, के अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार घोषित किया जाएगा।

रिक्ति के बारे में मामले पर निर्णय।

18. यदि किसी विवाद की दशा में कि क्या धारा 13 या धारा 14 के अधीन अध्यक्ष या सदस्य का पद रिक्त हो गया है, सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

रिक्तियों या गठन में त्रुटि के द्वारा कार्य तथा कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

19. बोर्ड या किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही, बोर्ड या समिति की किसी रिक्ति या गठन में किसी त्रुटि के कारण केवल अविधिमान्य नहीं होगी।

बैठक में विशेषज्ञों तथा अधिकारियों को आमंत्रित करने की शक्ति।

20. बोर्ड किसी व्यक्ति को जो उसकी राय में शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ है या सरकार के किसी अधिकारी को, इसकी बैठक में या इसकी समिति की बैठक में हाजिर होने के लिए आमंत्रित कर सकता है, यदि विषय जो विशेषज्ञ या अधिकारी से सम्बद्ध हो, ऐसी बैठक में विचार-विमर्श या विचारण के लिए आना संभाव्य है।

समितियों का गठन।

21. (1) बोर्ड निम्नलिखित समितियों का गठन करेगा, अर्थात:—

(क) शैक्षणिक समिति ;

(ख) वित्त समिति ;

(ग) सम्बन्धन समिति ;

(घ) परीक्षा समिति।

(2) बोर्ड ऐसी अन्य समितियां गठित करेगा जो वह इसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक समझे।

(3) बोर्ड द्वारा गठित की गई प्रत्येक समिति के सदस्यों की संख्या, उसके सदस्यों की पदावधि तथा ऐसी समिति द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कर्त्तव्य तथा कृत्य ऐसे होंगे जो विहित किए जाएं।

शैक्षणिक समिति की शक्तियां तथा कृत्य।

22. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, शैक्षणिक समिति की शक्तियां तथा कृत्य निम्नलिखित रूप में होंगे, अर्थात् :—

(क) विद्यार्थियों के अध्यापन तथा प्रशिक्षण से संबंधित पालिसी मामलों की कार्यवाही करना ;

(ख) विद्यार्थियों के प्रवेश तथा स्थानान्तरण के लिए सामान्य नियम बनाना;

(ग) बोर्ड के अनुमोदन के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के पाठ्य विवरण की सिफारिश करना ;

(घ) विभिन्न विषयों में प्रभावी अध्यापन के हित में पदों का सृजन या समाप्ति के लिए विभागों को सिफारिश करना ;

(ङ) बोर्ड के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए तुल्यता की सिफारिश करना;

(च) इसके कृत्यों के निर्वहन के लिए उप-समितियां गठित करना।

सम्बद्ध समिति की शक्तियां तथा कृत्य।

23. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सम्बद्ध समिति की शक्तियां तथा कृत्य निम्नलिखत रूप में होंगे, अर्थात् :-

(क) अनुमोदन के लिए बोर्ड की ग्रहण क्षमता सहित नई संस्था या नए पाठ्यक्रमों के लिए संबंधन देने की सिफारिश करना ;

(ख) अनुमोदन के लिए बोर्ड की ग्रहण क्षमता के अनुसार विद्यमान संस्था/पाठ्यक्रमों के लिए संबंधन को बढ़ाने / वापस लेने की सिफारिश करना ;

(ग) अनुमोदन के लिए बोर्ड को सम्बद्ध संस्था/पाठ्यक्रमों के प्रत्यायन देने/वापस लेने की सिफारिश करना ;

(घ) सम्बद्ध संस्था/पाठ्यक्रमों के ग्रेडेशन/रैंकिंग के लिए सिफारिश करना ;

(ङ) इसके कृत्यों के निर्वहन के लिए उप-समितियां गठित करना।

परीक्षा समिति की शक्तियां तथा कृत्य।

24. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परीक्षा समिति की शक्तियां तथा कृत्य निम्नलिखित रूप में होंगे, अर्थात् :—

(क) यह पेपरों के नियमन, परीक्षा परिणामों का प्रकाशन, परीक्षकों, निरीक्षकों, अधीक्षक, उप-अधीक्षक, पेपर बनाने वालों, संचालकों तथा उनसे संबंधित अन्य

कर्मचारियों की नियुक्ति सहित परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन तथा अधीक्षण के लिए सभी प्रबन्ध करने के लिए उत्तरदायी होगी ;

(ख) यह जांच करने तथा अवसर देने के बाद, धारा 37 की उप-धारा (1) में उपबंधित कोई दण्ड अधिरोपित कर सकती है।

वित्त समिति की शक्तियां तथा कृत्य।

25. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वित्त समिति की शक्तियां तथा कृत्य निम्नलिखित रूप में होंगे, अर्थात् :—

(क) वार्षिक बजट तैयार करना तथा बोर्ड के अनुमोदन के लिए सिफारिश करना ;

(ख) लेखा-परीक्षा रिपोर्ट स्वीकार करना ;

(ग) बोर्ड द्वारा या शासकीय परिषद् द्वारा यथा प्रत्यायोजित ऐसी वित्तीय तथा अन्य शक्तियों का प्रयोग करना ;

(घ) बोर्ड के पदों का सृजन करना/समाप्त करने की सिफारिश करना ;

(ङ) गोपनीय कार्य को छोड़कर बोर्ड की विभिन्न अपेक्षाओं के लिए व्यय तथा क्रय प्रस्तावों का अनुमोदन करना ।

बोर्ड के अन्य अधिकारी तथा सेवक।

26. (1) बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारी तथा सेवक नियुक्त कर सकता है जैसा वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने के लिए आवश्यक समझे।

(2) सभी ग्रुप क तथा ग्रुप ख अधिकारी शासकीय परिषद् के अनुमोदन के बाद सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों, वैधानिक बोर्डों तथा निगमों में से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जाएंगे। इस धारा के अधीन नियुक्त किये गए अधिकारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो धारा 5 के खंड (ग) के अधीन शासकीय परिषद् द्वारा अवधारित की जाएं।

(3) उप-धारा (2) में यथावर्णित के सिवाय कर्मचारियों के सभी अन्य प्रवर्ग के लिए, नियुक्ति बोर्ड द्वारा की जाएगी तथा इस उपधारा के अधीन नियुक्त कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो बोर्ड द्वारा विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं।

(4) बोर्ड के सभी अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन सचिव द्वारा क्रमशः उनको समनुदेशित किये जाएं।

(5) सचिव के सिवाय इस अधिनियम के अधीन नियुक्त सभी अधिकारी तथा कर्मचारिवृन्द बोर्ड के कर्मचारी होंगे।

बोर्ड की शक्तियां तथा कर्त्तव्य ।

27. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, बोर्ड की शक्तियां तथा कर्त्तव्य निम्नलिखित रूप में होंगे, अर्थात् :—

(क) सामान्यतः डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा से संबंधित पालिसी के मामलों पर, तथा निम्नलिखित मामलों पर सरकार को सलाह देना, अर्थात्:—

(i) डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा में राष्ट्रीय पालिसियों तथा राज्य पालिसियों के बीच समन्वय करना ;

(ii) माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक, डिग्री शिक्षा तथा डिप्लोमा स्तरीय शिक्षा के बीच समन्वय करना ;

(iii) डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा का एकरूप मानक बनाए रखना ;

(iv) उद्योग संस्थान पारस्परिक क्रिया को प्रोन्नत करना ;

(ख) पाठ्यचर्या तथा पाठ्यविवरण अवधारित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करना तथा डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा के लिए, सभी प्रवर्गों के लिए, जैसे कि नियमित, सैंडविच, पार्ट-टाईम, पत्राचार पाठ्यक्रम, वार्षिक, सत्र पैटर्न तथा इसी प्रकार के लिए विस्तृत पाठ्यचर्या तथा पाठ्यविवरण भी तैयार करना;

(ग) डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के लिए अपेक्षित कर्मचारिवृन्द भवनों, फर्नीचर, उपकरण, लेखन-सामग्री तथा अन्य वस्तुओं के संबंध में मानक अपेक्षाओं को विहित तथा विनियमित करना ;

(घ) पाठ्य पुस्तक तथा निर्देश पुस्तक के रूप में कोई पुस्तक विहित करना तथा बनाना या कोई पुस्तक तथा प्रिन्ट, या गैर-प्रिन्ट सामग्री तैयार करना या तैयार करवाना या डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रमों के लिए किसी प्रकार की विद्या सामग्री प्रत्यक्ष रूप से या किसी अन्य एजेंसी के सहयोग से प्रकाशित कराना ;

(ङ) परीक्षाओं में नियमित उम्मीदवारों तथा पूर्व उम्मीदवारों के प्रवेश को नियमित करने वाली सामान्य शर्तें विहित करना तथा पात्रता, उपस्थिति, कार्य-अवधि तथा स्वरूप से संबंधित शर्तें विनिर्दिष्ट करना, जिनके पूरा करने पर उम्मीदवार को किसी ऐसी परीक्षा में प्रवेश के लिए तथा उसमें उपस्थित होने के लिए अधिकार होगा ;

(च) अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को प्रमाण-पत्र देना ;

(छ) छात्रवृत्तियां, शिक्षावृत्तियां, वृत्तिकाएं, पदक, पुरस्कार तथा अन्य पारिश्रमिक प्रारम्भ करना तथा प्रदान करना तथा उनके लिए शर्तें विहित करना ;

(ज) वसीयत, चन्दा, दान, न्यास तथा किसी सम्पत्ति, या उसके अंश या उसके अधिकार का अन्य अन्तरण प्राप्त करना ;

(झ) खण्ड (ज) में निर्दिष्ट कोई सम्पत्ति, अंश या अधिकार धारण करना तथा उसकी देखभाल करना तथा उसका निपटान करना ;

(ञ) यथाविहित ऐसी फीस तथा शास्तियों की मांग नियत करना तथा प्राप्त करना ;

(ट) तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक से या अधिकारियों से विशेष रिपोर्ट तथा जानकारी मांगना, तथा बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से शैक्षणिक मानक के रखरखाव तथा सुधार को सुनिश्चित करने के लिए कोई जानकारी मांगना ;

(ठ) बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाओं में विद्यार्थियों के शारीरिक, नैतिक तथा समाज कल्याण को उन्नत करने के लिए उपायों की सिफारिश करना, तथा उनके निवास तथा अनुशासन की शर्तें विहित करना ;

(ड) धारा 26 के उपबंधों के अनुसार अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियुक्त करना ;

(ढ) बोर्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के फायदे के लिए भविष्य-निधि गठित करना ;

(ण) बोर्ड से संबंधित वार्षिक वित्तीय विवरण अनुमोदित करना तथा शासकीय परिषद् को वार्षिक बजट की स्वीकृति के लिए सिफारिश करना ;

(त) क्षेत्रीय अधिकारी, यदि कोई हो, की कार्यप्रणाली का सामान्य रूप से निरीक्षण करना तथा पर्यवेक्षण करना, तथा उसके लेखों का समय-समय पर निरीक्षण करना ;

(थ) भारत के भीतर या बाहर किसी एजेंसी के साथ सहयोगी पाठ्यचर्या, अध्यापन विद्या प्रक्रिया तथा परीक्षा की रूपरेखा, विकास, कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए सांख्यिकीय तथा अन्य अनुसंधान या प्रशिक्षण प्रोग्राम संचालित करना ;

(द) अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन के लिए ऐसी समितियां, जो वह आवश्यक समझे, नियुक्त करना ;

(ध) शैक्षणिक कार्य की योजना तैयार करना तथा मॉनीटर करना ;

(न) स्वतः नियोजन, ग्रामीण कोर्सिज, वंचित व्यक्तियों तथा महिलाओं के लिए नीड बेसड कोर्सिज, स्पेशल कोर्सिज का प्रस्ताव करना ;

(प) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार संबंधन, प्रत्यायन, स्वायत्त हैसियत, तुल्यता तथा पुनर्विलोकन प्रदान करना, या संबंधन, या प्रत्यायन, तुल्यता, या स्वायत्त हैसियत का प्रतिसंहरण करना ;

(फ) संस्था को शैक्षणिक स्वायत्तता देने या दी गई स्वायत्तता का पुनर्विलोकन या प्रतिसंहरण करने के लिए शासकीय परिषद् के अनुमोदन से विनियम बनाना ;

(ब) ऐसे सभी कार्य कार्यान्वित करना जो इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों ताकि राज्य में डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा का सुधार करने, विस्तार करने, विकसित करने तथा डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा के मानक को बनाए रखा जा सके तथा उसमें सुधार किया जा सके ;

(भ) संस्थाओं को संबंधन, प्रत्यायन, स्वायत्त हैसियत, तुल्यता, पात्रता देने तथा संबंधन या प्रत्यायन, तुल्यता, या स्वायत्त हैसियत या पात्रता का प्रतिसंहरण करने के लिए विनियम बनाना ;

(म) उम्मीदवारों को परीक्षा में प्रवेश करने, संबंधन करने, प्रत्यायन करने, स्वायत्तता, तुल्यता प्रदान करने के लिए ऐसी फीस, जो विहित की जाए, की मांग करना तथा प्राप्त ssकरना ;

(य) बोर्ड की परीक्षाएं संचालित करना ;

(यक) परीक्षा के संचालन, उम्मीदवारों के निर्धारण, कार्य तथा परीक्षा परिणाम को तैयार करने तथा निकालने के लिए पेपर बनाने वालों, परीक्षकों, संचालकों, पर्यवेक्षकों तथा अन्य आवश्यक कार्मिकों को नियुक्त करना ;

(यख) विनियमों के अनुसार परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को प्रवेश देना;

(यग) इसके द्वारा संचालित परीक्षा के लिए इसकी अधिकारिता के भीतर केन्द्र खोलना;

(यघ) ऐसी तिथि या तिथियां जो नियत की जाएं, पर संचालित परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के परिणामों की घोषणा करना;

(यङ) मैरिट के अनुसार उम्मीदवारों की सूची तैयार करना ;

(यच) अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार अनुचित साधनों के उपयोग के मामलों पर कार्यवाही करना;

(यछ) डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा में अन्तिम परीक्षा सहित सभी परीक्षाओं में विद्यार्थियों तथा संस्था के कार्य का सामान्य तौर पर मूल्यांकन करना;

(यज) शैक्षणिक मानक के अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए इसके द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कोई सूचना मांगना, मान्यताप्राप्त संस्था जो अपेक्षित शैक्षणिक मानक अनुरक्षित नहीं कर रही है, के बारे में, प्रादेशिक कार्यालय, यदि कोई हो तथा निदेशक तकनीकी शिक्षा विभाग से विशेष रिपोर्ट तथा सूचना मांगना तथा निदेशालय, तकनीकी शिक्षा विभाग को इसकी सिफारिश करना, खराब शैक्षणिक परिणामों तथा गम्भीर शैक्षणिक अनियमितताओं के मामलों में तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रशासकीय आदेश के अधीन प्रदान की गई मान्यता को वापिस लेना ;

(यझ) तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाओं से परीक्षाओं के संचालन में सहयोग को बढ़ावा देने तथा कोई संस्था जो परीक्षाओं के संचालन में अपेक्षित सुविधाओं के निपटान में असफल रहती है, को क्यों न ऐसे आदेश किए जाएं, का हेतुक दर्शाते हुए, उनको युक्तियुक्त अवसर देने के बाद बोर्ड के विशेषाधिकारों को वापिस लेना ;

(यञ) निम्नलिखित के लिए अपेक्षित किसी सम्पत्ति या अवसंरचना का सृजन, स्वामित्व, धारण करने के लिए, किराये पर लेना :—

(i) बोर्ड के कार्यालय की कार्य-पद्धति ;

(ii) प्रादेशिक कार्यालयों की कार्य-पद्धति ;

(iii) बोर्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारिवृन्द के लिए निवास-स्थान उपलब्ध करवाना ;

(यट) अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशाली रूप से कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए विनियम बनाना ;

(यठ) मामलों जैसे कि बोर्ड, उनकी समितियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा केवल बोर्ड तथा उनकी समितियों से पूर्ण रूप में संबंधित कोई अन्य मामले जो इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा या के अधीन उपबंधित नहीं हैं के संबंध में उप-विधियां बनाना ;

(यड) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या के अधीन अधिरोपित किए जाएं।

बोर्ड के अध्यक्ष की शक्तियां तथा कर्तव्य।

28. (1) बोर्ड के अध्यक्ष का कर्तव्य यह सुनिश्चित करने के लिए होगा कि अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए विनियमों तथा उप-विधियों के उपबन्धों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जा रहा है तथा उसे इस प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी शक्तियां होंगी।

(2) बोर्ड के अध्यक्ष की राय में, आपातकाल में, ऐसी आवश्यकता है कि तुरन्त कार्रवाई की जानी चाहिए, तो सचिव ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह आवश्यक समझे तथा उसके पश्चात् बोर्ड को उसकी आगामी बैठक में अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट करेगा।

(3) अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जाएं।

सरकार को निदेश जारी करने की शक्ति।

29. (1) सरकार को, बोर्ड द्वारा दी गई मन्त्रणा पर विचार करने के बाद, धारा 27 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं मामलों के संबंध में, ऐसे निदेश जो वह आवश्यक समझे, जारी करने की शक्ति होगी। बोर्ड ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

(2) सरकार, बोर्ड को किसी बात के संदर्भ में जो उन्हें करने वाला है या कर दी है या करने जा रहा है या कर रहा है या करने या करवाने के लिए आशयित है को संबोधन करने, तथा मामले में अपने विचार बोर्ड को संसूचित करने का अधिकार भी होगा।

(3) बोर्ड, सरकार को, ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, जो वह संसूचना पर कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव करता है या कर दिया है, की रिपोर्ट करेगा, तथा यदि वह कार्रवाई करने में असफल रहता है, तो स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा।

(4) यदि बोर्ड, युक्तियुक्त समय के भीतर, सरकार की सन्तुष्टि के अनुसार कार्रवाई नहीं करता है, तो सरकार, बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण या किए गए प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद, इस अधिनियम से संगत ऐसे निदेश जो वह उचित समझे, जारी कर सकती है, तथा बोर्ड ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।

(5) सरकार की राय है कि आपातकाल में, तुरन्त कार्रवाई करनी आवश्यक है, तो सरकार, बोर्ड से पूर्व परामर्श के बिना, इस अधिनियम से संगत ऐसी कार्रवाई कर सकती है, जो वह आवश्यक समझे तथा इसकी की गई कार्रवाई की सूचना तुरन्त देगी।

(6) सरकार, लिखित आदेश द्वारा, उसके कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए, बोर्ड के किसी संकल्प या आदेश का निष्पादन निलंबित कर सकती है तथा बोर्ड द्वारा किए जाने के लिए या किए जाने के लिए तात्पर्यित आदेशित कार्रवाई को निषेध कर सकती है, यदि सरकार की राय है कि ऐसा संकल्प, आदेश या कार्य, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के बाहर किया गया कार्य है।

अध्याय IV

निधि, वित्त, लेखे तथा लेखा परीक्षा

30. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बोर्ड में निहित सम्पत्ति, निधि तथा अन्य परिसम्पत्तियां धारित होंगी तथा इसके द्वारा प्रयुक्त की जाएंगी। परिसम्पत्तियों का लागूकरण।

31. (1) बोर्ड की स्वयं की अपनी निधि होगी तथा निम्नलिखित धन उसमें जमा किए जाएंगे :— निधि की अभिरक्षा तथा निवेश।

(क) संस्था द्वारा उद्गृहीत तथा संगृहीत शास्तियों सहित फीस, रायल्टी तथा प्रभार ;

(ख) सरकार द्वारा इसको दिए गए अनुदान, समनुदेशन, अंशदान तथा ऋण, यदि कोई हों ;

(ग) वसीयत, चन्दा तथा दान या अन्य अंशदान, यदि कोई हों ;

(घ) इसमें निहित किन्हीं प्रतिभूतियों का ब्याज तथा विक्रय आगम;

(ङ) इसमें निहित सम्पत्ति के सभी किराए तथा लाभांश;

(च) बोर्ड द्वारा या की ओर से प्राप्त अन्य धन।

(2) बोर्ड धन को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में चालू खाते में रखेगा या उसे खाते में जमा करेगा। यथाविनिर्दिष्ट धन-राशि तथा कोई धन उक्त धन-राशि से अधिक है, तो ऐसी रीति में विनिहित की जाएगी जो सरकार द्वारा अनुमोदित की जाए।

(3) बोर्ड के ऐसे अधिकारियों द्वारा ऐसे लेखे जो विहित किए जाएं परिचालित किए जाएंगे।

32. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बोर्ड की निधि इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट केवल मामलों के प्रभारों तथा आनुषंगिक खर्चों के भुगतान के लिए प्रयुक्त की जाएगी। निधि का सामान्य लागूकरण।

33. कोई भी भुगतान बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चैक या प्रत्यय पत्र के सिवाए बोर्ड की निधि में से किसी भी बैंक द्वारा नहीं किया जाएगा। निधि कैसे निकाली जाएगी।

34. बोर्ड, समय-समय पर, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को ऐसी धन-राशियों का भुगतान करेगा जो बोर्ड, कार्यों या विकास स्कीमों को पूरा करने के लिए बोर्ड द्वारा उनको अधिरोपित कर्तव्यों तथा कृत्यों के निर्वहन के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को समर्थ बनाने के लिए, अवधारित करे। क्षेत्रीय कार्यालयों का आबंटन।

35. (1) बोर्ड, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय तथा व्यय के बजट अनुमानों को ऐसी तिथि से पूर्व तथा ऐसी रीति में तैयार करेगा जो विहित की जाए। वार्षिक बजट अनुमानों को तैयार करना।

(2) बोर्ड, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट तिथि को या के बाद, इसके द्वारा तैयार किए गए अनुमानों, बजट अनुमानों पर विचार करेगा तथा उसकी स्वीकृति के लिए सरकार को प्रस्तुत करेगा। सरकार बजट अनुमानों के संदर्भ में ऐसे आदेश पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे तथा उन्हें बोर्ड को संसूचित करेगी। बोर्ड ऐसे आदेशों को कार्यान्वित करेगा।

वार्षिक लेखे तथा लेखा-परीक्षा।

36. (1) बोर्ड यथाविहित ऐसे प्ररुप में तथा ऐसी रीति में लेखे रखेगा।

(2) बोर्ड के लेखे, शासकीय परिषद् के पूर्व अनुमोदन से, बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए लेखा-परीक्षकों द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे।

(3) सरकार यदि यह आवश्यक समझे, बोर्ड के लेखों की लेखा-परीक्षा के लिए एक विशेष लेखा-परीक्षक नियुक्त कर सकती है।

(4) यथास्थिति लेखा-परीक्षक या विशेष लेखा-परीक्षक बोर्ड को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा उसकी एक प्रति शासकीय परिषद् को भेजेगा।

(5) उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अधीन लेखा-परीक्षा की लागत, यदि कोई हो, बोर्ड द्वारा वहन की जाएगी।

निरीक्षण तथा जांच।

37. (1) सरकार जैसा वह निदेश करे, बोर्ड के ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, किए जाने वाले भवनों, होस्टलों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों तथा बोर्ड से सम्बद्ध तथा प्रत्यापित किसी डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के उपकरण, किसी ऐसे पॉलिटेक्निक या संस्था द्वारा शिक्षण संचालित या अन्य कार्य का तथा बोर्ड की ओर से कराई गई किसी परीक्षा के संचालन का निरीक्षण करवाने का तथा बोर्ड से संबंधित किसी मामले के संबंध में उसी प्रकार से की जाने वाली जांच करवाने का अधिकार होगा :

परन्तु सरकार, प्रत्येक मामले में किए जाने वाले निरीक्षण या जांच को करवाने के अपने आशय का बोर्ड को सम्यक् नोटिस देगी तथा बोर्ड को कोई प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए अधिकार होगा, जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित होने तथा सुनवाई का भी अधिकार होगा।

(2) सरकार निरीक्षण या जांच के परिणामों के संदर्भ में उसके विचार बोर्ड को संसूचित करेगी तथा उस पर बोर्ड की मन्त्रणा प्राप्त करने के पश्चात् की जाने वाली कार्रवाई पर उसको सलाह दे सकती है तथा ऐसी कार्रवाई करने के लिए समय सीमा नियत कर सकती है।

(3) बोर्ड, निरीक्षण या जांच के परिणामों के फलस्वरूप इसके द्वारा की गई या करने के लिए प्रस्तावित ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, सरकार को रिपोर्ट करेगा। ऐसी रिपोर्ट ऐसे समय के भीतर जैसा सरकार निदेश करे, बोर्ड की राय के साथ, प्रस्तुत की जाएगी।

(4) जहां बोर्ड सरकार की संतुष्टि के अनुसार नियत समय के भीतर कार्रवाई नहीं करता है, तो सरकार बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी स्पष्टीकरण या दिए गए प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद, ऐसे निदेश जो वह ठीक समझे जारी कर सकती है, तथा बोर्ड ऐसे निदेशों की पालना करेगा।

38. (1) बोर्ड सरकार द्वारा यथा अपेक्षित ऐसी रिपोर्टें, विवरणियां तथा विवरणों तथा इसके कार्य से सम्बद्ध किसी मामले से संबंधित ऐसी और जानकारी जो सरकार मांग सकती है सरकार को प्रस्तुत करेगा। बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना, विवरणी इत्यादि।

(2) सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई किसी ऐसी रिपोर्टें, विवरणियां या विवरणों या सूचना पर विचार करने के बाद, इस अधिनियम के संगत ऐसे निदेश जो आवश्यक हों, देगी तथा बोर्ड ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा।

अध्याय V

अनुपूरक तथा विविध उपबन्ध

39. अधिनियन द्वारा बोर्ड द्वारा इसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने से संबंधित सभी मामले, जो विनियम द्वारा समिति को बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित किए गए हैं, उस समिति को निर्दिष्ट किए जाएंगे तथा बोर्ड ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने से पूर्व, प्रश्नगत मामले के संबंध में उस समिति की रिपोर्ट प्राप्त करेगा तथा उस पर विचार करेगा। समिति को प्रत्यायोजित शक्ति के प्रयोग की रीति।

40. (1) बोर्ड इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए शासकीय परिषद् के अनुमोदन से विनियम बना सकता है। विनियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टियां तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित विषयों में से सभी या किन्हीं के लिए उपबन्ध कर सकता है, अर्थात् :—

(क) धारा 21 के अधीन गठित समितियों का गठन, शक्तियां तथा कर्तव्य ;

(ख) परीक्षाओं के लिए विषय तथा पाठ्यचर्या ;

(ग) परीक्षाओं के लिए नियमित तथा बाहरी उम्मीदवारों के दाखिले को विनियमित करने वाली सामान्य शर्तें तथा पात्रता, उपस्थिति, अवधि तथा स्वरूप के संबंध में विशेष शर्तें, जिनके पूरा करने पर उम्मीदवार को किसी ऐसी परीक्षा में दाखिला लेने के लिए तथा उपस्थित होने का अधिकार होगा ;

(घ) किसी विषय तथा पूर्ण परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु तथा किसी विषय में छूट, प्रत्यय विषयक तथा उपाधि के लिए अपेक्षित अंक ;

(ङ) परीक्षाओं में प्रवेश के लिए फीस तथा इन परीक्षाओं से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में भुगतानयोग्य अन्य फीस तथा प्रभार ;

(च) परीक्षाओं के संचालन तथा परिणामों के प्रकाशन के लिए प्रबन्ध ;

(छ) परीक्षकों की नियुक्ति, परीक्षा से संबंधित उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य तथा उनके पारिश्रमिक तथा भुगतान के ढंग ;

(ज) निरीक्षकों की अर्हताएं तथा निरर्हताएं ;

(झ) पंचाट प्रमाण-पत्र ;

(ञ) बोर्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्तें ;

(ट) बोर्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लाभांश के लिए गठित भविष्य-निधि;

(ठ) बोर्ड के वित्त का नियंत्रण, प्रशासन, सुरक्षित अभिरक्षा तथा प्रबन्धन ;

(ड) तिथि जिससे पूर्व तथा रीति जिसमें बोर्ड अपने बजट अनुमानों को तैयार करेगा ;

(ढ) अनुपूरक भत्ता जो बोर्ड तथा समितियों के सदस्यों द्वारा लिया जाएगा ;

(ण) परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन के लिए सरकार से तथा सहायताप्राप्त तथा असहायताप्राप्त संस्थानों या पॉलिटेक्निक से अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति ;

(त) अस्थाई/स्थाई संबंधन/प्रत्यायन तथा मान्यता देने/प्रत्याहरण के लिए शर्तें तथा उपबन्ध ;

(थ) शैक्षणिक स्वायत्ता को देने/प्रत्याहरण, विभिन्न पाठ्यक्रमों की स्वायत हैसियत, तुल्यता तथा पात्रता को प्रदान करने के लिए शर्तें तथा प्रक्रिया ;

(द) संस्था को बन्द करने के लिए शर्तें/प्रक्रिया ;

(ध) रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण सहित संस्थाओं के निरीक्षण के लिए मापदण्ड/ प्रक्रिया ;

(न) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाना है या किया जाए।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया कोई भी विनियम तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक उसे शासकीय परिषद् द्वारा अनुमोदित न किया गया हो।

प्रथम विनियम।

41. धारा 40 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रथम विनियम सरकार द्वारा बनाए जाएंगे तथा तब तक प्रवर्तन के रूप में जारी रहेंगे जब तक बोर्ड द्वारा नए विनियम सम्यक् रूप से नहीं बनाए जाते हैं ।

बोर्ड की उप-विधियां बनाने की शक्ति।

42. बोर्ड इस अधिनियम से संगत निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध करने हेतु उप-विधियां बना सकता है, अर्थात् :—

(क) बोर्ड तथा समितियों की बैठकों में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया तथा ऐसी बैठकों में गणपूर्ति करने के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या ;

(ख) केवल बोर्ड तथा समितियों के विषय में कोई अन्य मामला जो इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा उपबंधित नहीं है।

संदेह की दशा में व्याख्या।

43. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं विनियमों या उप-विधियों के किसी उपबन्ध की व्याख्या के संबंध में यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो बोर्ड के कम से कम तीन सदस्य यदि ऐसी अपेक्षा करें तो मामला सरकार को निर्णय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा। सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

पॉलिटेक्निक तथा संस्था से सहयोग।

44. सभी सम्बद्ध तथा स्वायत्त डिप्लोमा स्तरीय संस्थाएं बोर्ड को ऐसी सहायता तथा सहयोग देंगी जैसा बोर्ड इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों का पालन तथा कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अपेक्षा करे।

सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

45. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं विनियमों या उप-विधियों के उपबन्धों के अनुसरण में किसी भी बात के लिए जो सद्‌भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए तात्पर्यित या आशयित है शासकीय परिषद्, बोर्ड या शासकीय परिषद् के या बोर्ड के सदस्यों या किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी।

बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों का लोक सेवक होना।

46. बोर्ड के सभी सदस्य, अधिकारी तथा कर्मचारी, जब इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में कार्य कर रहे हैं या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हैं, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम 45), की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक के रूप में समझे जाएंगे।

व्यावृति।

47. (1) विद्यमान बोर्ड की प्रत्येक समिति यथासाध्य शीघ्रता से, किन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से छ: मास की अवधि के भीतर, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, पुनर्गठित की जाएगी।

(2) नियत दिन से तुरन्त पूर्व विद्यमान बोर्ड से सम्बद्ध सभी संस्थाएं इस अधिनियम के अधीन बोर्ड से सम्बद्ध की गई समझी जाएंगी जब तक इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसका संबंधन वापस नहीं लिया जाता है या उस पर पुनर्विचार नहीं किया जाता है।

(3) सभी शैक्षणिक संस्थाएं जो विद्यमान बोर्ड के किन्हीं विशेषाधिकारों की हकदार थीं इस अधिनियम के अधीन स्थापित बोर्ड के अधीन उसी तरह के विशेषाधिकारों के लिए हकदार समझी जाएंगी।

(4) विद्यमान बोर्ड द्वारा स्वीकृत या प्राप्त तथा नियत दिन से तुरन्त पूर्व उस द्वारा धारित सभी दान, इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा स्वीकृत, प्राप्त तथा धारित किए गए समझे जाएंगे तथा शर्तें जिन पर ऐसे दान स्वीकृत, प्राप्त या धारित किए गए थे इस अधिनियम के अधीन विधिमान्य समझे जाएंगे, किसी बात के होते हुए भी कि ऐसी शर्तें इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों से असंगत हो सकती हैं।

(5) विद्यमान बोर्ड के विरुद्ध नियत दिन से पूर्व उपगत किए गए तथा विधिपूर्वक अस्तित्व वाले सभी ऋण, दायित्व तथा बाध्यताएं, बोर्ड द्वारा निर्वहन किए जाएंगे तथा चुकाये जाएंगे।

(6) नियत दिन से पूर्व की गई कोई विल, विलेख या अन्य दस्तावेज, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर तथा से अन्तर्विष्ट विद्यमान बोर्ड के पक्ष में कोई वसीयत, उपहार, फर्म या न्यास में अन्तर्विष्ट है का वही अर्थ होगा मानो बोर्ड विद्यमान बोर्ड के स्थान पर नामित है।

(7) किसी अधिनियमिति में विद्यमान बोर्ड के सभी संदर्भों या किसी अधिनियमिति के अधीन जारी किए गए अन्य लिखितों के वही अर्थ होंगे जो इस अधिनियम के अधीन स्थापित बोर्ड के संदर्भों के रूप हैं।

(8) आदेशों के अधीन विधिपूर्वक की गई तथा नियत दिन से तुरन्त पूर्व अस्तित्व में परीक्षकों की नियुक्ति बोर्ड के लिए इस अधिनियम के अधीन तथा के प्रयोजनों के लिए की गई समझी जाएगी, तथा ऐसे परीक्षक तब तक पद धारण करेंगे तथा अपने कर्तव्यों तथा कृत्यों का निर्वहन जारी रखेंगे जब तक इस अधिनियम के अधीन नई नियुक्तियां नहीं की जाएं।

(9) किसी प्राधिकरण द्वारा दिए गए सभी नोटिस तथा जारी किए गए सभी आदेश तथा विद्यमान बोर्ड के आदेश, परिपत्र, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से अनअसंगत हैं, प्रवर्तन के रूप में लागू रहेंगे तथा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए या जारी किए गए समझे जाएंगे ।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति।

48. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों से अनअसंगत उपबन्ध कर सकती है, जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, यथाशीघ्र इसके बनाए जाने के बाद, राज्य विधानमण्डल के सदन के सम्मुख रखा जाएगा।

एम० एस० सुल्लर,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधायी विभाग।